

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 11/2024

अपीलार्थी—

तहसीलदार गडरारोड़

बनाम

उत्तरदाता—

सजनराम पुत्र रहीम राम
जाति मेघवाल निवासी
गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश क्रमांक 172366 दिनांक 11.10.2023 जो उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना-पत्र पर नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. अपीलांत प्रफॉर्मा पक्षकार।
2. उत्तरदाता संख्या 1 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.01.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गडरा रोड़ द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना-पत्र पर पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म-क में एक प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार गडरा रोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा गडरारोड़ के खसरा नम्बर 832/269 रकबा 0-1133 हैक्टेयर अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना-पत्र पर हल्का



पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकॉर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना-पत्र आदेश दिनांक 11.10.2023 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया जिसे रिमाण्ड करवाते हुए नियमानुसार पुनः जारी करवाने की कार्यवाही के सम्बंध में अपीलांत ने दिनांक 26.06.2024 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. अपीलांत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन भूमि के पास अपनी खातेदारी मौजा गडरारोड़ के खसरा नम्बर 832/269 रकबा 0-1133 हैक्टेयर में से 1133 वर्गमीटर भूमि भूमि का संपरिवर्तन करवाने हेतु नायब तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में आवासीय (युनिट) संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ आदेश को नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है, उस समय तत्कालीन तहसीलदार गडरारोड़ के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था। तहसीलदार गडरारोड़ की एस.एस.ओ. आईडी मैपिंग नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार द्वारा आदेश जारी किया गया। उक्त संपरिवर्तन आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया। जो पूर्णतया विधि-विरुद्ध एवं न्याय के मूलभूत एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है। लिहाजा अपीलांत की अपील स्वीकार की जावे तथा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पुनः जारी करवाने की कार्यवाही के सम्बंध में आदेश फरमावे।
5. रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा संपरिवर्तन आदेश में नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाई गई है। यदि उक्त आदेश में कोई मानवीय भूल हुई है तो अपील को स्वीकृत करते



हुए पुनः सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन आदेश जारी करवाने की अनुकम्पा करावे।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म-क में एक प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा गडरारोड़ के खसरा नम्बर 832/269 रकबा 0-1133 हैक्टेयर अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के प्रार्थना-पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना-पत्र आदेश दिनांक 11.10.2023 के द्वारा स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया जिसे रिमाण्ड करवाते हुए नियमानुसार पुनः जारी करवाने की कार्यवाही के सम्बंध में अपीलांत ने दिनांक 26.06.2024 को यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के निरीक्षण दिनांक 14.03.2024 को संपरिवर्तन प्रकरणों की पत्रावलीयों का अवलोकन करने के उपरांत बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा तहसीलदार की हैसियत से ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये हैं, जिसके लिए नायब तहसीलदार सक्षम अधिकारी नहीं है तथा न हीं पत्रावलीयों पर तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार को संपरिवर्तन आदेश जारी करने हेतु अनुमोदन या अधिकृत किया गया है। अतः अपीलांत की अपील को स्वीकार करवाते हुए नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश पुनः जारी करवाने को आदेश फरमावे। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से जवाब में निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा संपरिवर्तन आदेश में नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाई गई है। यदि उक्त आदेश में कोई मानवीय भूल हुई है तो अपील को स्वीकृत करते



हुए पुनः सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन आदेश जारी करवाने की अनुकम्पा करावे। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है उक्त संपरिवर्तन आदेश नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बावजूद भी आदेश पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा अपीलाधीन संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.10.2023 पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा मौजा गडरारोड़ के संपरिवर्तन आदेश 172366 दिनांक 11.10.2023 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गडरारोड़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त प्रकरण में संपरिवर्तन आदेश पुनः जारी करते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार करें।



(राजेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त कलेक्टर बाड़मेर
(ए. डी. एम.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाड़मेर